न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 519/2025 | दायर दिनांक 30.10.2025 | निर्णय दिनांक 07/1/2026

उनवान

1. श्री शशांक सोमानी पुत्र श्री शिवरतन सोमानी जाति सोमानी निवासी शास्त्री नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मीठा लाल पुत्र श्री खूबचन्द सिंघवी निवासी ए–151–152 कुमुद विहार, हरणी महादेव रोड, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
2. कृति पुत्री श्री नवनीत कुमार सोमानी निवासी ई–94/1 सुभाष नगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
3. आयुषी जैन पुत्री श्री ललित कुमार जैन निवासी महावीर कॉलोनी रामनगर अजमेर (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा (राज0)

— विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री उदय सिंह चारण उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**
3. **अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 श्री भैरूलाल बापना उपस्थित।**
4. **अप्रार्थी संख्या 04 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 07/1/26

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उदय सिंह चारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणी कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 346 में आराजी संख्या 1346/10 रकबा 0.2238 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजस माली द्वारा दिनांक 20.11.2025 को अंडरटेकिंग प्रस्तुत की गई। वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने से अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना द्वारा अधिकार पत्र तथा जवाब पेश किया गया। प्रार्थी–अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम बिलियाखुर्द की आराजी संख्या 1346/10 रकबा 0.2238 है. प्रार्थी की खातेदारी आराजियात है जिसका सीमांकन करा पत्थरगढ़ी कराने का प्रार्थी को विधिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम बिलियाखुर्द की आराजी संख्या 1346/10 की पत्थरगढ़ी(सीमांकन) करने में विपक्षी संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं है।

7/1/26 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उभयपक्षकरात् अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणी कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 346 में आराजी संख्या 1346/10 रकबा 0.2238 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 को सम्यक सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

7/5/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा